मा0 एन0जी0टी0 द्वारा OA No.-985/2019 with 986/2019 In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur UP with In Re: Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, UP में पारित आदेश दिनांक 15.11.2019 के अनुपालन के संबंध में दिनांक 29.11.2019 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की उपस्थित की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–985/2019 एवं 986/2019 आर0ई0 पॉल्यूशन एट रनियां कानपुर देहात एवं राखी मण्डी, कानपुर नगर, यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न विभागों के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि खानचन्द्रपुर रनियॉ कानपुर देहात में डम्प हैजार्डस वेस्ट के निस्तारण एवं रेमिडियेशन हेतु एक समेकित डी0पी0आर0 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा काफी समय पूर्व तैयार करायी गयी है तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 24.07.2019 को हैजार्डस वेस्ट डम्प के सुरक्षित निस्तारण हेतु अंतरिम रेमिडियल विकल्प के रूप में In Situ साइट पर एस0एल0एफ0 निर्मित कर भण्डारित किये जाने हेतु अनुमानित लागत रू0 23.44 करोड़ के बजट की व्यवस्था अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा किये जाने तथा कार्यदायी संस्था के रूप में सी0पी0सी0बी0, नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग के साथ कार्य किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है।

मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में हैजार्डस वेस्ट डम्प के सुरक्षित निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराये जाने तथा दिनांक 22.08.2019 के मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार 03 माह में कोमियम वेस्ट सुरक्षित तकनीक के साथ निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा रू0 10 लाख प्रतिमाह की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देय होगी। उक्त के अतिरिक्त खानचन्दपुर रनियॉ, कानपुर देहात के प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी बिन्दुओं के अध्ययन हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें एस0एन0 मेडिकल कालेज, कानपुर, पी0जी0आई0, लखनऊ, आर0एम0एल0 लखनऊ एवं सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि सदस्य हों, का गठन कर 03 माह में अध्ययन कर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिये गये हैं।

खानचन्द्रपुर, रनियां, कानपुर देहात एवं राखी मण्डी, कानपुर नगर के प्रभावित क्षेत्रों में पाइप्ड वॉटर सप्लाई पद्धति से क्रमशः दिनांक 01.03.2020 एवं 15.01.2020 तक पीने एवं अन्य प्रयोजनों हेतु स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जिम्मेदार 06 उद्योगों के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रूपये 280.01 करोड़ धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। उद्योगों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने तक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त धनराशि राज्य सरकार को Escrow Account में जमा किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, जिससे आवश्यकतानुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जन स्वास्थ्य के कार्यों में धनराशि का उपयोग किया जायेगा। Escrow Account का संचालन संबंधित

जिलाधिकारी द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक्शन प्लान के अनुसार किया जायेगा।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Project steering Committee की नवीं बैठक दिनांक 07.06.2018 में स्वीकृत डी0पी0आर0, जिसके अनुसार कैपेक्स रूपये 136 करोड़ + ओपेक्स भूगर्भीय जल रेमिडियेशन हेतु रूपये 2.5 करोड़ प्रति माह आंकलित किया गया है। उक्त डी0पी0आर0 में अंतरिम रेमिडियल विकल्प के रूप में उसी स्थल पर एस0एल0एफ0 का निर्माण तथा एकत्रित वेस्ट एवं कन्टीमेंनेटेड स्वॉय को निर्मित एस0एल0एफ0 में डाला जाना एवं अंत में उसकी कैपिंग किया जाना भी सम्मिलित है, जिसकी लागत 23.44 करोड़ आंकलित की गई है। तदोपरान्त आवश्यकता होने पर भूगर्भीय जल की गुणवत्ता के अनुसार, यदि भूगर्भीय जल रेमिडियेशन कार्य अग्रेतर 10 वर्षों तक जारी रहता है, तो इसकी लागत लगभग रूपये 500 करोड़ आंकलित की गई है।

राखी मण्डी, कानपुर नगर में वर्तमान में क्रोमियम वेस्ट का डम्प भण्डारित नहीं है, जिसकी सूचना मा0 एन0जी0टी0 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी जा चुकी है, परन्तु इस क्षेत्र में भूगर्भीय जल की गुणवत्ता प्रदूषित होने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र को Probable Contaminated Site के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसकी डी0पी0आर0 तैयार की जानी है।

दिनांक 07.11.2019 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के अधिकारियों के साथ यू0पी0सी0डा0 एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा रनियां कानपुर देहात के प्रभावित साईट के रेमिडिएशन हेतु तैयार की गयी डी0पी0आर0 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु बैठक में भाग लिया गया। बैठक में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रेमीडिएशन हेतु किये जाने वाले अन्तरिम एवं पूर्ण कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी एवं यह आश्वासन दिया गया कि यू0पी0सी0डा0 को कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सलाहकार को सम्बद्ध करने एवं उसकी सहायता से टेण्डरिंग अनुश्रवण एवं रेमिडिएशन के कार्यों के सुपरविजन के कार्यो में मदद करने, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सलाहकार के चयन एवं उसको सम्बद्ध करने हेतु आवश्यक टी0ओ0आर0 बनाने में आवश्यक सलाह दी जायेगी।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2019 के अनुपालन में एक्सपर्ट कमेटी के गठन की कार्यवाही कर हेल्थ सर्वे रिपोर्ट तीन माह में जमा करने के निर्देश दे दिये गये हैं तथा अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्ययोजना तैयार की जायगी, जिसमें दिये गये सुझावों को अगले चरण में बनाई गयी कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाये।

प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2011 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य सरकार के अंश की धनराशि उपलब्ध कराने का पत्र भेजा गया था तथा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2019 के अनुसार खानचन्द्रपुर रनियां, कानपुर देहात स्थित परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण एवं रेमिडियेशन के संबंध में जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्ययोजना तैयार की जानी है । संबंधित डम्पिंग क्षेत्र यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उक्त कार्ययोजना के टेण्डरिंग आदि कार्य में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

सचिव, नगर विकास विभाग एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 15.11.2019 के अनुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से छूट प्रदान करने हेतु विभागीय अधिवक्ताओं से

विचार–विमर्श के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि कानपुर देहात के प्रभावित क्षेत्रों में पाइप्ड वॉटर सप्लाई पद्धति से जल आपूर्ति हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गई है, जिसके अनुसार मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित समय सीमा 01.03.2020 तक परियोजना क्रियान्वित कर दी जायेगी। इस हेतु बजट स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जल निगम द्वारा उ0प्र0 शासन को भेज दिया गया है। वर्तमान में टैंकर द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराई जा रही है तथा इसी प्रकार राखी मण्डी क्षेत्र में वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में पाईप लाइन द्वारा एवं शेष क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है तथा सम्पूर्ण क्षेत्र हेतु पाइप्ड वॉटर सप्लाई के लिये बजट का प्राविधान कर दिया गया है।

जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा खानचन्द्रपुर रनियां, कानपुर देहात के संबंधित स्थल के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि उक्त हेतु लगभग 3.75 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसमें से कुछ भाग ग्राम समाज का एवं कुछ भाग निजी भू–स्वामियों का है, जिसके अधिग्रहण की कार्यवाही संबंधी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के समयबद्व अनुपालन हेतु निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

1. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 15.11.2019 को पारित आदेश को ससमय अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 जल निगम, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी, कानपुर देहात, जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा विभागवार कार्ययोजना तैयार की जाये जिसमे प्रत्येक कार्य उसकी टाईमलाईन, माइल स्टोन आदि का उल्लेख हो एवं सम्बन्धित उच्च अधिकारी द्वारा सप्ताहवार प्रगति का अनुश्रवण किया जायें तथा प्रत्येक माह प्रगति आख्या पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास / नगर विकास / पर्यावरण / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन / उ0प्र0 जल निगम / उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / जिलाधिकारी, कानपुर देहात / कानपुर नगर)

2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक B-29016/59/(1)/WM-I/NCEF(4)/2018/10339 दिनांक 31.08.2018 द्वारा Project steering Committee की नवीं बैठक दिनांक 07.06.2018 में स्वीकृत डी0पी0आर0 जिसके अनुसार कैपेक्स रूपये 136 करोड़ + ओपेक्स भूगर्भीय जल रेमिडियेशन हेतु रूपये 2.5 करोड़ प्रति माह आंकलित किया गया है, जो कि 05 वर्ष तक किया जाना है। भूगर्भ जल के रेमिडियेशन को आवश्यकतानुसार आगामी वर्षो में भी किया जायेगा। उक्त डी0पी0आर0 में अंतरिम रेमिडियल विकल्प के रूप में उसी स्थल पर एस0एल0एफ0 का निर्माण तथा एकत्रित वेस्ट एवं कन्टीमेंनेटेड स्वॉयल को निर्मित एस0एल0एफ0 में डाला जाना एवं अंत में उसकी कैपिंग किया जाना भी सम्मिलित है, जिसकी लागत रूपये 23.44 करोड़ आंकलित की गई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित एवं प्रोजेक्ट स्टेरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 को पर्यावरण विभाग द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विर्मश कर डी0पी0आर0 कार्यों हेतु धनराशि की

बजट से व्यवस्था किये जाने की कार्यवाही अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर की जायेगी।

(कार्यवाही–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/पर्यावरण/वित्त विभाग)

3. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भूगर्भीय जल के रेमीडिएशन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी डी0पी0आर0 के आधार पर प्रश्नगत परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण एवं प्रदूषित भू–गर्भीय जल के रेमीडिएशन कार्यों हेतु स्पष्ट टाइमलाईन सहित एक कार्ययोजना का आलेख तैयार किया जाये। इस कार्ययोजना के संबंध में तथा प्रस्तावित टाईमलाइन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संबंधित विभागों का अभिमत भी प्राप्त किया जाये। उक्त कार्ययोजना में स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति हेतु पाइप्ड वाटर स्कीम की स्थापना, टैकरों के द्वारा पेय जल की आपूर्ति, प्रदूषित जल देने वाले हैण्डपम्पों को निष्प्रयोज्य किये जाने के बिन्दु भी सम्मिलित हों। तैयार की गई कार्ययोजना के आलेख पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदित कराने की कार्यवाही शीघ्रता से कराई जाये।

(कार्यवाही–नगर विकास/ग्राम्य विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/उ0प्र0 जल निगम/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुसार एक्सपर्ट कमेटी का तत्काल गठन किया जाये तथा एक्सपर्ट कमेटी द्वारा प्रभावित क्षेत्र के स्वास्थ्य संबंधित बिन्दुओं पर अध्ययन रिपोर्ट एवं प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य सुधार के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को एक माह में उपलब्ध कराई जाये, जिसमें प्रभावित व्यक्तियों की बीमारियों एवं उनके उचित उपचार का विवरण एवं बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रस्तावित उपायों का विवरण भी सम्मिलित हो।

(कार्यवाही–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

5. जिलाधिकारी, कानपुर देहात मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार Escrow Account तत्काल खुलवायें तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार Escrow Account में हस्तान्तरित की जाये। Escrow Account का संचालन मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/वित्त विभाग/ जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

6. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा कार्ययोजना का क्रियान्वयन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तकनीकी पर्यवेक्षण में किया जायेगा। राज्य स्तर पर तकनीकी सलाह हेतु निम्नलिखित विभागों को सम्मिलित करते हुए तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाये, जिसके द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंसलटेंट (पी0एम0सी0) का चयन तथा पी0एम0सी0 के माध्यम से टेक्नीकल बिड डाक्यूमेन्ट तैयार कराने तथा कियान्वयन के दौरान अनुश्रवण आदि सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

   1. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा नामित अधिकारी। (अध्यक्ष)

2. महाप्रबंधक (अभियंत्रण), उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। (सदस्य संयोजक)
3. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी। (सदस्य)
4. लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य अभियंता स्तर का नामित अधिकारी। (सदस्य)
5. सिंचाई विभाग द्वारा मुख्य अभियंता स्तर का नामित अधिकारी। (सदस्य)
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नामित अधिकारी। (सदस्य)

(कार्यवाही–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/पर्यावरण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

7. जिला स्तर पर कार्ययोजना के अनुसार कार्यों की प्रगति के अनुश्रवण हेतु निम्नलिखित विभागों को सम्मिलित करते हुए "अनुश्रवण समिति" का गठन किया जाये। अनुश्रवण समिति द्वारा प्रत्येक माह प्रगति आख्या पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जाये।
   1. जिलाधिकारी, कानपुर देहात। (अध्यक्ष)
   2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर। (सदस्य संयोजक)
   3. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी। (सदस्य)
   4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात। (सदस्य)
   5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कानपुर देहात। (सदस्य)
   6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, कानपुर देहात। (सदस्य)
   7. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात। (सदस्य)
   8. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर देहात। (सदस्य)

(कार्यवाही–जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

8. जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 15.11.2019 को दिये गये आदेश के अनुपालन में प्रभावित क्षेत्रों में पाइप्ड वाटर सिस्टम के माध्यम से स्वच्छ जल आपूर्ति हेतु बनाई गयी कार्ययोजना, टाइमलाईन, माइलस्टोन के अनुसार प्रगति आख्या एवं वर्तमान में जल आपूर्ति हेतु तत्कालिक व्यवस्था जिसमें टैंकरों की संख्या, प्रतिदिन प्रत्येक ग्राम को उपलब्ध कराई गयी पेय जल की मात्रा का विवरण तैयार किया जाये तथा साप्ताहिक रिपोर्ट पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही–जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

9. खानचन्द्रपुर, रनियां, कानपुर देहात में स्थापित 06 इकाईयां, जिनके संचालन के समय जनित हैजार्ड्स वेस्ट के अवैध रूप से डम्प होने के कारण संदर्भित क्षेत्र का भूगर्भीय जल प्रदूषित हुआ है, के सम्बन्ध में दोषी इकाईयों को संचालन की अनुमति देने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी के साथ–साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी उत्तरदायी है। अन्य विभागों के अधिकारियों यथा जिला उद्योग केन्द्र, निदेशक, कारखाना एवं

अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की उत्तरदायिता की जांच मण्डलायुक्त कानपरु मण्डल द्वारा एक माह में पूर्ण कर आख्या प्रेषित की जायें।

(कार्यवाही–मण्डलायुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर)

10. सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की ई–मेल आईडी psforest2015@gmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ई–मेल आईडी ngtcell@uppcb.com पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक प्रेषित की जायें।
11. बैठक में लिये गये निर्णयों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाय।

अन्त में सःधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–N.G.T.-659/81–7–19–44(रिट)/2016 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 09 दिसम्बर, 2019

संख्या–N.G.T.-659 /81–7–19–44(रिट)/2016 टी0सी0, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/वित्त/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/सिंचाई/लोक निर्माण/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/राजस्व/ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0सी0डा0, लखनपुर, कानपुर।
3. मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ।
8. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।